बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 252 ● नई दिल्ली ● शनिवार 25 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की

नई दिल्ली । दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, सभी पुलिसकर्मियों की नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। अगले आदेश तक कोई भी पुलिसकर्मी बिना अनुमति के किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग नहीं ले पाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का ड्रामा क्यों?: केजरीवाल का पीएम पर फिर तीखा हमला, वांगचुक के अनशन तोड़ने पर कही ये बात

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वांगचुक का जीवन और स्वास्थ्य देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल ने सीजेपी के आज देश भर में घोषित विरोध प्रदर्शन में सभी से भाग लेने का आग्रह किया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेपर लीक मामलों को लेकर तीखा हमला बोला है। एक्स पर एक वीडियो साझा कर अपनी बात रखी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के एलान को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीयत में खोट है। यह बयान 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई द्वारा बेगुनाह करार दिए जाने के बाद आया है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर जांच में सबूत ही नहीं पेश करने हैं, तो फास्ट-ट्रैक कोर्ट का यह नाटक क्यों? प्रधानमंत्री ने बीती रात 12 बजे यह घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन और स्वास्थ्य देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीजेपी ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। केजरीवाल ने सभी लोगों से इन प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की। केजरीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कल रात 12 बजे पेपर लीक के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का एलान किया। यह कानून सोमवार को संसद में लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने कल कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी ही जांच करनी है और सबूत पेश नहीं करने हैं, तो फास्ट-ट्रैक कोर्ट का नाटक क्यों? उन्होंने प्रधानमंत्री के आश्वासन को खोखला बताया।

दिल्ली में छात्रों पर दागी गई पैलेट गन?: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत है प्रतिबंधित, 90 के दशक में हुई थी खरीद

नई दिल्ली । दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर दागी गई पैलेट गन को लेकर छात्रों और विपक्षी दलों में गहरा रोष व्याप्त है। पैलेट गन के इस्तेमाल से कई छात्रों को चोट लगी है। शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैलेट गन को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश किया, जिसे पैलेट गन के छर्रे लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। पैलेट गन का इस्तेमाल सीआरपीएफ की दंगारोधी इकाई आरएएफ द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में ये हथियार प्रतिबंधित है। 1992 में आरएएफ की स्थापना के बाद इस्राइल और बेल्जियम से पैलेट गन खरीदी गई थी। प्रारंभ में विदेशों से आयात करने के बाद पैलेट गन का निर्माण डीआरडीओ की मदद से देश में ही शुरू किया गया था। इस्राइल और बेल्जियम से जब पैलेट गन खरीदी गई, तब इसकी कीमत लगभग तीन लाख रुपये थी। एक मल्टी बैरल लांचर में छह से आठ शेल डलते हैं। एक शेल से 30 छर्रे निकलते हैं। यानी कुछ ही देर में इन शेल की मदद से 180 से ज्यादा छर्रे दागे जा सकते हैं। सीआरपीएफ के रिटायर्ड एडीजी एसएस संधू, जो आरएएफ में पांच वर्ष तक डीआईजी और बतौर कार्यवाहक आईजी तैनात रहे हैं, ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संधियों/समझौतों में पैलेट गन पर प्रतिबंध है। प्रारंभ में एक शेल दागने वाली गन बनाई गई। 2011 में इसे छह बैरल तक बढ़ा दिया गया। पूर्व एडीजी संधू ने बताया कि आरएएफ ने 2012 में डीआरडीओ के तहत निर्मित ये गन लाइबेरिया और मालदीव में भेजी थी। वहां भेजे गए दंगारोधी उपकरणों की सूची में पैलेट गन भी शामिल की गई। सीआरपीएफ ने इन देशों के लिए पैलेट गन के अलावा वाटर कैनन और दूसरे उपकरण भी खरीदे थे। दिल्ली में हुए किसान आंदोलन और 2016 के दौरान कश्मीर में पत्थराबाजी की घटनाओं में इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कश्मीर में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। वजह, पैलेट को लेकर कोर्ट में केस कर दिया गया। 23 यार्ड से अगर पैलेट का फायर किया जाता है तो वह खतरनाक हो सकता है। छाती में या चेहरे पर लगता है तो पीड़ित के लिए जान का जोखिम हो सकता है। आंखों की रोशनी जा सकती है। आरएएफ की 15 बटालियन हैं। एक बटालियन में लगभग सौ पैलेट गन होती हैं। आरएएफ की अहम भूमिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभिन्न राज्यों में 'डीएम' को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी आपात स्थिति में बिना केंद्र की मंजूरी के तीन दिन के लिए आरएएफ की तैनाती का आदेश जारी कर सकता है। इसकी एक बटालियन में 1300 से अधिक जवान होते हैं। आरएएफ में अन्य बलों या उनकी इकाइयों के मुकाबले, अफसरों की संख्या ज्यादा रहती है। सीआरपीएफ की अन्य बटालियन में जहां तीन कमांडिंग अफसर 'सीओ' होते हैं, वहीं आरएएफ में आठ 'सीओ' रहते हैं। यह बल संवेदनशील विषयों पर नियमित वर्कशॉप करता है। दंगा या उपद्रव वाले संभावित स्थानों पर विशेष अभ्यास किया जाता है। इसके जवान, वरुण वाटर गन, रॉयट ड्रिल, रॉयट गीयर व दूसरे उपकरणों से लैस रहते हैं। इस बल में सब इंस्पेक्टर भी अन्य बलों के मुकाबले तीन गुणा ज्यादा होते हैं। देश में यह एक अलग फोर्स है, इसका अलग कलर है। आरएएफ का अपना झंडा होता है।

आज देशभर में पार्टी निकालेगी कैंडल मार्च- कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई (शनिवार) को ज़िला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करें। यह आयोजन नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के समर्थन में और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित 'बर्बर हमलों' की निंदा करने के लिए किया जाएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को लिखे एक पत्र में, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए। वेणुगोपाल ने पत्र में कहा, 'माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी को शनिवार शाम, 25 जुलाई, 2026 को एक विशाल कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का निर्देश दें।' पत्र में कहा गया है कि मार्च महात्मा गांधी या डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए, साथ ही छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करने का भी निर्देश दिया। पार्टी ने परीक्षा की शुचिता के 'पूरी तरह से ध्वस्त होने' और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया, 'हमें परीक्षा की शुचिता के पूरी तरह से ध्वस्त होने और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए।' पार्टी ने PCC, DCC, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों, सेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी का आह्वान किया। PCC अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्च और सत्याग्रह 'शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से' आयोजित किए जाएं और उन्हें व्यापक मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज मिले। पत्र में कहा गया, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और डराने-धमकाने, दमन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जनहित याचिका, कोर्ट ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की गई। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की पीठ ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी। याचिका में नीट-यूजी 2026 परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन का जिक्र था। इसमें संसद भवन की ओर मार्च, सड़क जाम और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं का उल्लेख था। पुलिसकर्मियों पर हमले और पत्रकारों से दुर्व्यवहार की भी शिकायत की गई थी। याचिका में इन घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी विशेष एजेंसी से जांच की मांग थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी का चुनाव संबंधित अधिकारियों का निर्णय है। उन्होंने प्राथमिकियों के मामलों का हवाला देते हुए अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई का सुझाव दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एनआईए जांच की धारा-6 के तहत स्थिति भिन्न होती है। प्राथमिक एजेंसी की जांच से असंतुष्ट होने पर ही आगे के कदम उठाए जा सकते हैं याचिकाकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गंभीर घटनाओं की जांच चाही थी। इनमें महिला पत्रकारों सहित अन्य पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी शामिल था। छात्रों का यह आंदोलन नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में था। याचिका में इन सभी मामलों की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने अपने मौलिक अधिकारों का हवाला दिया। परंतु अदालत ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अंततः याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका वापस लेने पर सहमति जताई। इस सहमति के बाद ही अदालत ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।

जयराम रमेश ने शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति पर उठाए सवाल

सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा सचिव नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के तौर पर गंगवार के कार्यकाल के दौरान सब्सिडी से जुड़ी कथित अनियमितताओं का हवाला दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने सरकार की आलोचना की। यह आलोचना तब की गई जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उसे नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में संजीव कुमार (जिन्हें संजीव मुखिया के नाम से भी जाना जाता है) के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों घटनाओं से एनडीए सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं रमेश ने लिखा कि पिछले 24 घंटों में हुई दो घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार की ईमानदारी पर और सवाल खड़े कर दिए हैं - हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह एक ऐसे अधिकारी को लाया गया, जिनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर कृषि मंत्रालय से भारी 'सब्सिडी' ली थी, जबकि वे खुद पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय में शीर्ष अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई ने 'संजीव मुखिया' को क्लीन चिट दे दी, जिसे पहले नीट-यूजी 2024 पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड' बताया गया था।

दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी ने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव LJP के टिकट पर लड़ा था - जो एनडीए का एक अहम सहयोगी दल है। नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच, गुरुवार देर रात नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग के सचिव पद पर कर दिया गया। एक अन्य पोस्ट में, रमेश ने पेपर लीक मामलों के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को 'खोखला' और 'आधी रात की घबराहट' में लिया गया फ़ैसला बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों के तहत बिना किसी संशोधन के भी फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट तभी असरदार ढंग से काम करते हैं जब जांच एक तय समय-सीमा के भीतर और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ की जाए।

नीट पेपर लीक पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - 'उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम, 1 सप्ताह में देंगे विस्तृत जानकारी'

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह नीट परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने वाली है. यह कदम बहुत जल्द लिए जाएंगे और इनका दूरगामी असर होगा. पेपर लीक को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से विस्तृत जानकारी देने के लिए कुछ समय की मांग की. कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए 3 अगस्त को अगली सुनवाई की बात कही. मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को इस साल 3 मई को आयोजित किया गया था. पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद इसे रद्द करना पड़ा और 21 जून को दोबारा परीक्षा हुई. परीक्षा के आयोजन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नाकामी का विरोध करते हुए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट समेत कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.25 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था.

सम्पादकीय...

निर्णायक कदम

वैश्विक स्तरपर भारत ने पिछले एक दशक में कर सुधारों को केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक विकास,वैश्विक निवेश आकर्षण और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल टैक्स प्रशासन,नई आयकर व्यवस्था और गिफ्ट सिटी जैसे अनेक सुधारों के बाद अब आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से केंद्र सरकार ने स्पेसिफाइड फंड की परिभाषा में संशोधन कर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहली दृष्टि में यह परिवर्तन तकनीकी और सीमित प्रतीत हो सकता है, किंतु गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इसका प्रभाव भारत में विदेशी निवेश,पूंजी बाजार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं और विकसित भारत-2047 की रणनीति पर व्यापक रूप से पड़ने वाला है। अभी भारत सेहत पूरी दुनिया देख रही है कि 20 जुलाई 2026 से यूजीसी नीट पेपर लेक्स सहित अन्य मुद्दों पर जोरदार तरीके से हंगामें के कारण संसद बाधित चल रही है कोई कामकाज नहीं हो रहा है। आज गुरुवार 23 जुलाई 2026 को भी पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। लगातार हंगामे के कारण पहले सुबह 11 से 12 फिर 2 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए बिना कोई कामकाज किए शुक्रवार 24 जुलाई 2026 तक स्थगित कर दी गई।ठीक यही स्थिति उच्च सदन में भी रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही अंततः शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र कर विशेष व अधिवक्ता होने के नाते बता दूं कि यह संशोधन केवल कर नियमों की भाषा बदलने तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारत की उस दीर्घकालिक आर्थिक सोच का हिस्सा है जिसके अंतर्गत देश स्वयं को एशिया के प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। वैश्विक पूंजी आज ऐसे देशों की तलाश में है जहाँ कानून स्पष्ट हों,कर व्यवस्था स्थिर हो और निवेशकों को अनिश्चितताओं से मुक्त वातावरण मिले। यही उद्देश्य इस संशोधन के मूल में दिखाई देता है। साथियों स्पेसिफाइड फंड क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको समझने की करें तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्पेसिफाइड फंड ऐसी निवेश इकाइयों को कहा जाता है जिन्हें विशेष कर लाभ और नियामकीय सुविधा प्रदान की जाती है, विशेषकर उन फंडों को जो भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। समय के साथ निवेश संरचनाएं बदलती गईं, नए वित्तीय उत्पाद विकसित हुए और वैश्विक निवेशकों की आवश्यकताएँ भी परिवर्तित हुईं। ऐसे में पुरानी परिभाषा कई स्थानों पर अस्पष्टता उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण कर विवाद, व्याख्या संबंधी मतभेद और निवेश निर्णयों में अनिश्चितता पैदा हो रही थी।सरकार ने इन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफाइड फंड की परिभाषा को अधिक स्पष्ट, व्यापक और आधुनिक बनाया है ताकि पात्र संस्थाओं की पहचान में भ्रम समाप्त हो और निवेशकों को नियमों का पूर्वानुमानित लाभ सटिका से मिल सके। साथियों बात अगर हम कर कानूनों में स्पष्टता ही सबसे बड़ी पारदर्शिता को समझने की करें तो अंतरराष्ट्रीय निवेशक किसी भी देश में निवेश करने से पहले केवल कर की दर नहीं देखते,बल्कि यह भी देखते है कि कर कानून कितने स्पष्ट, स्थिर और न्यायसंगत हैं।यदि नियमों की अलग-अलग व्याख्या संभव हो, तो भविष्य में विवाद की संभावना बढ़ जाती है और निवेशक ऐसे बाजारों से दूरी बनाने लगते हैं।भारत लंबे समय से टैक्स सर्टिआरिटी अर्थात कर संबंधी निश्चितता पर बल देता रहा है। आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संदेश देता है कि भारत केवल निवेश आमंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि निवेशकों के लिए पूर्वानुमेय और भरोसेमंद कर वातावरण भी तैयार कर रहा है। साथियों बात अगर हम गिफ्ट सिटी को मिलेगा नया बल इसको समझने की करें तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) को भारत का वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना वर्षों से चल रही है।इसके लिए सरकार ने अनेक कर रियायतें, नियामकीय छूट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित की है।स्पेसिफाइड फंड की नई परिभाषा गिफ्ट सिटी में संचालित निवेश फंडों को अधिक स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान करती है। इससे विदेशी फंड प्रबंधकों,निवेश सलाहकारों और वैश्विक पूंजी संस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा। यदि यह सुधार प्रभावी ढंग से लागू होता है,तो गिफ्ट सिटी भविष्य में दुबई,सिंगापुर और हांगकांग जैसे वित्तीय केंद्रों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ सकता है। साथियों बात अगर हमविदेशी निवेशकों को क्या लाभ मिलेगा? इसको समझने की करें तो वैश्विक निवेशक सदैव ऐसे देशों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ कर नीति स्थिर हो और कानून की व्याख्या स्पष्ट हो।संशोधित नियमों से पात्र फंडों की पहचान आसान होगी,कर लाभों की पात्रता स्पष्ट होगी और अनुपालन की जटिलता कम होगी।इसका परिणाम यह हो सकता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक,वैकल्पिक निवेश फंड,संप्रभु निधियाँ तथा वैश्विक निवेश कंपनियाँ भारत को दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में और अधिक गंभीरता से देखें। पूंजी प्रवाह बढ़ने से भारतीय उद्योग,अवसंरचना, स्टार्टअप और पूंजी बाजार को नई ऊर्जा सटीकता से मिल सकती है। साथियों बातें अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को समझने की करें तो भारत पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में घरेलू बचत के साथ-साथ वैश्विक पूंजी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।यदि कर कानून सरल,पारदर्शी और निवेश- अनुकूल होंगे,तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पोर्टफोलियो निवेश तथा दीर्घकालिक संस्थागत निवेश में वृद्धि संभव है।इससे रोजगार,औद्योगिक उत्पादन, नवाचार और वित्तीय बाजारों की गहराई बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से यह संशोधन केवल कर नियम नहीं, बल्कि विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध हो सकता है।

साथियों बात अगर हम इस कानून से क्या चुनौतियाँ भी हैं? इसको समझने की करें तो हर कर सुधार के साथ कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं।

अयोध्या में 'धर्म समिति'

अयोध्या में श्री राम मन्दिर तीर्थ क्षेत्र में अब नौ ख्यातिलब्ध सन्तों की एक समिति धार्मिक कार्यों का संचालन इस प्रकार करेगी कि सभी प्रकार के पूजा-पाठ कार्यक्रमों का पालन हिन्दू शास्त्रों के अनुरूप नियमतः हो सके और उस पर किसी भी प्रकार का सन्देह न किया जा सके। इस आशय का फैसला कल तीर्थ क्षेत्र के न्यास (ट्रस्ट) ने लिया तो स्पष्ट था कि उसके सामने इस महत्वपूर्ण श्री राम मन्दिर की प्रतिष्ठा पर पिछले महीने उठी आशंकाओं के बादल थे। आशंका श्री राम मन्दिर को मिलने वाले चढ़ावे में चोरी किये जाने की खबरें पिछले महीने बाहर आने के बाद इतनी तेज हो गई थी कि मन्दिर में श्रद्धालु दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई बल्कि चढ़ावे में चढ़ने वाली धनराशि भी गुणात्मक रूप से घटने लगी। चढ़ावा चोरी को लेकर धार्मिक सन्तों से लेकर आम व्यक्ति तक ने ऐसी घटनाओं को महापाप की संज्ञा दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने तुरत-फुरत एक जांच दल का गठन किया। चोरी कांड को लेकर राजनीति का बाजार भी खूब गर्म रहा और विपक्षी दलों ने इसे आस्था पर डाका डालने जैसी घटना बताया। हम जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम मन्दिर का निर्माण किन परिस्थितियों के बीच हुआ। 80 के दशक से लेकर 90 के दशक तक में पूरे देश में भाजपा व विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में जनान्दोलन चला जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले लिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक में पहुंचा। चूंकि अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान वही था जहां 16वीं सदी में एक इस्लामी धर्म का झंडा खड़ा कर दिया गया था और उसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा था। इस ढांचे को 6 दिसम्बर, 1992 को आन्दोलनकारी भीड़ ने तोड़ दिया था अतः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही यह स्थान हिन्दुओं को दिया गया जहां 2020 में मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अतः अयोध्या के राम मन्दिर तीर्थ की महत्ता हिन्दुओं के अन्य तीर्थों से अलग मानी जाती है क्योंकि इसके निर्माण में भारत के आमजनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अतः इस तीर्थ क्षेत्र के कार्यकलापों में यदि किसी भी प्रकार की विसंगति या त्रुटि पाई जाती है तो उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है जिसकी वजह से तत्काल राजनीति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की प्रथम छमाही में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए राजनीति का गर्म होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पृष्ठभूमि में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक ने जो भी निर्णय लिये हैं वे आम श्रद्धालुओं के विश्वास अर्जन के लिए ही हैं। ट्रस्ट ने नौ सन्तों की समिति गठित करने के अलावा चढ़ावे में प्राप्त धन की गिनती करके उसे रोजाना बैंक में जमा करने का जो अनुबन्ध भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया था उसकी समीक्षा किये जाने का भी निर्णय लिया। इससे स्पष्ट है कि ट्रस्ट अब चढ़ावे की धनराशि में किसी भी प्रकार की विसंगति को न पनपने देने की नीति पर चलना चाहता है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले दिनों ही विज्ञापन दिया था कि उसे मन्दिर में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की आवश्यकता है। इस पद के लिए ट्रस्ट को 552 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें अधिसंख्य रिटायर नौकरशाह व लम्बा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी हैं। इस पद पर नियुक्ति करने के लिए ट्रस्ट ने अपनी पिछली बैठक में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति का कहना है कि सभी 552 अभ्यर्थियों की परख करके उनमें से किसी एक व्यक्ति के चयन में उसे थोड़ा समय लगेगा, अतः अभी नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई है। ट्रस्ट के सामने अब मुख्य प्रश्न यही है कि चढ़ावा चोरी घटना के बाद किस प्रकार श्री राम मन्दिर तीर्थ की शुचिता व पवित्रता को बेदाग बनाया जाये क्योंकि इस घपले को लेकर खुद ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर ही संकट आ गया था और इसके महासचिव चंपत राय व एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था। इससे मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था व प्रणाली दोनों में ही नकारात्मक चर्चा होने लगी थी। अतः सबसे पहला काम ट्रस्ट ने यह किया है कि मन्दिर की नौ सदस्यीय धार्मिक समिति में स्थानीय सन्तों व जगद्गुरु शंकराचार्यों को स्थान दिया है। इस समिति का नेतृत्व ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्द देव गिरि करेंगे। नौ सन्तों में महन्त कमलनयन दास, स्वामी रामानन्द दास, महन्त राम कुमार दास, स्वामी मिथिलेश नन्दिनी शरण, महन्त धीरेन्द्र दास (निर्मोही अखाड़ा) के अलावा जगद्गुरु वासुदेवानन्द सरस्वती, जगद्गुरु स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ महाराज और स्वामी परमानन्द महाराज शामिल हैं। इनमें से पांच धर्मगुरु अयोध्या के ही अन्य मठों व मन्दिरों के प्रमुख हैं। अतः ट्रस्ट का प्रयास है कि मन्दिर के कार्यों में स्थानीय लोगों के धर्म प्रतिनिधियों को समुचित स्थान दिया जाये। यह समिति ही अब मन्दिर के धार्मिक प्रबन्धन पर निगरानी रखेगी और अपने फैसले लेने के लिए स्वतन्त्र होगी जिनका अनुपालन ट्रस्ट के सदस्यों को भी करना होगा। इस समिति के माध्यम से मन्दिर में पूजा-पाठ आदि का कार्य वैदिक रामानन्दी परंपराओं के अनुसार ही। इसके साथ ही ट्रस्ट को यह अधिकार रहेगा कि वह मन्दिर में चढ़ने वाली सोने- चांदी की वस्तुओं का परीक्षण भारत सरकार की टकसाल के माध्यम से स्वतन्त्र रूप से करा सके। ये घटनाएं तब घट रही हैं जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच करने वाले विशेष दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आने से पहले ही ट्रस्ट जिस प्रकार मशक्कत करके श्री राम मन्दिर की प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित करने के प्रयास कर रहा है उसे प्रशंसनीय कदम कहा जा सकता है मगर जांच रिपोर्ट से ही सच उजागर होगा।

किसानों तक पहुंच रही सहकारी योजनाओं की जानकारी

उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लखनऊ स्थित सहकारिता भवन में उत्तर प्रदेश सहकारी डेटाबेस सेंटर की स्थापना की गई है। यह केवल एक डेटा सेंटर नहीं, बल्कि प्रदेश की लाखों सहकारी संस्थाओं और उनसे जुड़े करोड़ों किसानों को एक साझा डिजिटल मंच पर जोड़ने की अभिनव पहल है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की अवधारणा को राज्य स्तर पर साकार करते हुए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, जिसने अपना समर्पित सहकारी डेटाबेस सेंटर विकसित किया है। वर्षों तक सहकारी समितियों से संबंधित सूचनाएं अलग-अलग कार्यालयों, रजिस्टरों और अभिलेखों में बिखरी रहती थीं। किसी समिति की स्थिति, सदस्य संख्या, वित्तीय गतिविधियों अथवा योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में काफी समय लगता था। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और नीति निर्माण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एकीकृत सहकारी डेटाबेस तैयार किया। उत्तर प्रदेश सहकारी डेटाबेस सेंटर में अब तक प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (एम-पैक्स) तथा अन्य सहकारी समितियों का व्यापक डिजिटल डेटा संकलित किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं तथा सहकारिता से जुड़े अन्य विभागों-जैसे गन्ना, दुग्ध, मत्स्य, उद्यान, रेशम, आवास एवं हथकरघा-से संबंधित समितियों का डेटा भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार सहकारिता क्षेत्र की समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। डेटाबेस सेंटर की स्थापना से प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। अब सहकारी समितियों का रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित, अद्यतन और पारदर्शी हो गया है। योजनाओं की प्रगति की निगरानी, लाभार्थियों की पहचान, समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा आवश्यक निर्णय पहले की तुलना में अधिक तेजी और सटीकता से लिए जा रहे हैं। इससे सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ किसानों तक सेवाओं की पहुंच भी मजबूत हुई है। डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से सहकारिता विभाग को विभिन्न सहकारी संस्थाओं का समग्र विश्लेषण करने में सुविधा मिल रही है। किसी भी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समिति की जानकारी, उसकी गतिविधियां, सदस्यता, सेवाएं तथा आवश्यक आंकड़े अब एकीकृत रूप में उपलब्ध होने लगे हैं। इससे भविष्य की योजनाओं का निर्माण वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जा सकेगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और योजनाओं का अधिक प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा। यह पहल सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को भी नई मजबूती प्रदान कर रही है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से सूचनाओं की उपलब्धता आसान हुई है, अभिलेखों के रख-रखाव में सुधार आया है तथा निर्णय प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक और डेटा आधारित बन रही है। इससे सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ किसानों का विश्वास भी मजबूत हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सहकारी डेटाबेस सेंटर प्रदेश में डिजिटल परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

स्वयं सहायता समूहों से संवरती नारी शक्ति और ग्रामीण स्वावलंबन की नई राह

उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर अभियान संचालित किए जा रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से गाँव-गाँव तक आत्मनिर्भरता की अलख जगी है, जिससे प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में अप्रत्याशित और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के स्थायी अवसरों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी कड़ी में राज्य के विभिन्न जिलों में गठित लाखों स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी बनकर उभर रहे हैं। इन समूहों से जुड़कर महिलाएँ न केवल अपनी बचत बढ़ा रही हैं, बल्कि सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्वावलंबन की नई गाथा लिख रही हैं। स्वावलंबी महिलाओं की ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी ग्राम मोहम्मदपुर पैंदा की निवासी नीतू कुंडू की है, जो 'पार्वती महिला ग्राम संगठन' और 'महिला शक्ति क्लस्टर, पैंदा' से जुड़ी हुई हैं। एक समय ऐसा था जब साधारण ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीतू कुंडू के समक्ष पारिवारिक आर्थिक तंगी और दैनिक खर्चों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। परंतु उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के आगे हार मानने के बजाय अपनी स्थिति को बदलने का दृढ़ संकल्प लिया। वर्ष 2021 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित 'राधिका स्वयं सहायता समूह' से जुड़कर नीतू कुंडू ने अपने जीवन में स्वावलंबन का एक नया अध्याय प्रारंभ किया। समूह की बैठकों में नियमित सहभागिता और वित्तीय अनुशासन सीखने के उपरांत उनके भीतर छोटी-छोटी बचत करने, आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार स्थापित करने के प्रति अभूतपूर्व आत्मविश्वास जागृत हुआ। इसी दौरान कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत नीतू कुंडू को खाद्य प्रसंस्करण/विशेषकर स्वादिष्ट अचार एवं मुरब्बा निर्माण का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। इस प्रशिक्षण में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ वैज्ञानिक एवं स्वच्छ विधियों से खाद्य सामग्री तैयार करने, उनकी बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों को सीखा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने गृह स्तर से ही छोटे पैमाने पर अचार एवं मुरब्बा बनाने का व्यवसाय प्रारंभ किया। प्रारंभिक अवस्था में संसाधनों की सीमितता के बावजूद उन्होंने अपने निर्मित उत्पादों की शुद्धता, प्रामाणिकता और विशिष्ट स्वाद पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उनके इस समर्पण और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण के चलते शीघ्र ही उनके उत्पादों की मांग केवल उनके गाँव तक सीमित न रहकर आसपास के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगी। स्वयं सहायता समूह के निरंतर संबल, मार्गदर्शन और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाओं के बल पर नीतू कुंडू का वह लघु प्रयास आज एक अत्यंत सफल और लाभदायक व्यावसायिक उद्यम का रूप ले चुका है। आज उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे वे न केवल अपने परिवार को सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करने में सफल हुई हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार के सपनों को भी साकार कर रही हैं। वर्तमान समय में नीतू कुंडू क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणापुंज भी हैं। वे अपने गाँव तथा आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर जागरूक एवं प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि शासन और जिला प्रशासन के सहयोग तथा व्यक्तिगत इच्छाशक्ति के समन्वय से कोई भी महिला कठिन से कठिन चुनौती को पार कर सकती है। नीतू कुंडू जैसी लाखों महिलाओं की सफलता की यह कहानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे अभूतपूर्व और दूरगामी प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण अंचल की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रबंधकीय दक्षता प्रदान करने में महती भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'बी.सी. सखी' (बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी) योजना ने राज्य की ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी शिक्षित एवं प्रशिक्षित महिलाएँ अब गाँव-गाँव और घर-घर जाकर ग्रामीणों को त्वरित, पारदर्शी एवं सुलभ वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं। इससे न केवल महिलाओं को नियमित आजीविका प्राप्त हो रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी राशन की दुकानों (कोटे की दुकानों) के संचालन का दायित्व भी स्वयं सहायता समूहों की सक्षम महिलाओं को सौंपा जा रहा है। महिला समूहों द्वारा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न वितरण का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसने महिलाओं की उत्कृष्ट प्रबंधकीय और प्रशासनिक क्षमताओं को संपूर्ण समाज के सामने सिद्ध किया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले 'टेक होम राशन' (पोषाहार) के निर्माण एवं आपूर्ति की कमान भी अब राज्य सरकार द्वारा महिला समूहों को सौंपी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित की जा रही आधुनिक सूक्ष्म पोषाहार निर्माण इकाइयों के माध्यम से जहाँ एक ओर कुपोषण के विरुद्ध अभियान को नई ऊर्जा मिली है, वहीं दूसरी ओर हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार के द्वार खुले हैं। 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाओं और स्थानीय कृषि उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मेलों, प्रदर्शनी उत्सवों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इन महिला समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों को बड़े बाजारों से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं के समग्र एवं सर्वांगीण विकास, उन्हें वित्तीय सुरक्षा का वातावरण प्रदान करने तथा वित्तीय साक्षरता को जन-जन तक पहुँचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के व्यापक विस्तार और उसमें महिलाओं की निरंतर बढ़ती भागीदारी इस बात की स्पष्ट साक्षी है कि उत्तर प्रदेश में विकास और नारी सशक्तिकरण की एक ऐतिहासिक गाथा लिखी जा रही है। शासन और जिला प्रशासन की दूरदर्शी नीतियों, निरंतर प्रोत्साहन और बुनियादी सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता के कारण आज उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएँ केवल अपने परिवार का ही सहारा नहीं बन रही हैं, अपितु राज्य की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में भी अपनी प्रभावी एवं अतुलनीय भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी प्रेरित किया है। आत्मनिर्भर बनीं महिलाएं आज शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीण समाज को जागरूक करने का नेतृत्व कर रही हैं। समूहों से जुड़ी महिलाओं की पारिवारिक आय बढ़ने से उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम विकास की योजनाओं में भी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने शासन और प्रशासन को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की मुखर उपस्थिति और विकास कार्यों में उनकी सहभागिता ने ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक समावेशी, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय जनकल्याणकारी योजनाओं का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किया गया अभिसरण (कन्वर्जेन्स) ग्रामीण विकास को एक समग्र गति प्रदान कर रहा है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और जन-धन योजना जैसी पहलों के साथ तालमेल स्थापित कर ग्रामीण परिवारों को सर्वांगीण सुरक्षा और स्वावलंबन का मजबूती से अवसर दिया जा रहा है।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ग्रामीण उत्तर प्रदेश के आर्थिक नवनिर्माण, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का सबसे सशक्त और पारदर्शी माध्यम बनकर उभरा है। नीतू कुंडू जैसी लाखों लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांवों में आई यह स्वावलंबन की क्रांति न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि 'अंत्योदय' के संकल्प को सिद्ध करते हुए 'नए उत्तर प्रदेश' के सर्वांगीण विकास को एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व गति प्रदान कर रही है।

सामाजिक सद्भाव और इस्लामी शिक्षाएं

सामाजिक सद्भाव और इस्लामी शिक्षाएं विषय पर गोरखपुर में आयोजित एक संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए (कुंवर आज़म खान ,राष्ट्रीय अध्यक्ष,अखिल भारतीय मुस्लिम महासभा एवं स्कॉलर) ने बताया कि आजकल अखबार पढ़ना या मीडिया पर नजर डालना कितना कठिन कार्य हो गया है। हालांकि सोशल मीडिया हमारी दैनिक जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, मगर ऐसी खबरें नजर से गुजरती हैं जिन्हें पढ़कर अंदाजा होता है कि सामाजिक सद्भाव को किस कदर नुकसान पहुंचा है और आपसी विश्वास को कितना ठेस पहुंची है। यह सब उस माज में हो रहा है जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और रंग-नस्ल के लोग रहते हैं। विविधता होने के बावजूद रहन-सहन और खान-पान में काफी हद तक समानता है। ऐसे समाज के लिए सामाजिक सामंजस्य एक अनिवार्य आवश्यकता है और क्यों न हो? भारतीय समाज ने यहां के निवासियों के बीच विविधता में एकता को सदियों से जीकर दिखाया है, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी देश में नहीं मिलती। यह सब सामाजिक सामंजस्य, आपसी विश्वास और भाईचारे के वातावरण से संभव हुआ है। लेकिन आज विभिन्न राजनीतिक कारणों से यह गंभीर खतरे में है और कुछ शरारती सामाजिक और राजनीतिक तत्व अपने निजी लाभ के लिए सामाजिक सामंजस्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में एक मुसलमान के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और इस्लाम हमें क्या शिक्षा देता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। दरअसल, हर वह समाज जहां विभिन्न समुदाय साथ रहते हैं, वहां सामंजस्य ही शांति और प्रगति का आधार बनता है। भारत अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के साथ लंबे समय से सह-अस्तित्व का एक उज्ज्वल उदाहरण रहा है। इस संदर्भ में इस्लाम की शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि साम्प्रदायिक सामंजस्य केवल एक सामाजिक विकल्प या आवश्यकता नहीं बल्कि एक नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। इस्लाम सम्मान, सहानुभूति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर देता है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य ईमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। कुरआन बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि मानवीय विविधता दरअसल ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। एक प्रसिद्ध आयत में कहा गया है 'ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें विभिन्न जातियों और कबीलों में बनाया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो।' (49:13)। इस प्रकार विविधता का उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि आपसी पहचान और समझ है। धर्म, भाषा और संस्कृति के अंतर मनुष्यों को एक- दूसरे को समझने और सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आयत विभिन्न समुदायों के बीच सम्मान और सद्भावना की भावना को मजबूत करती है। इस्लाम मानव गरिमा की पवित्रता पर भी विशेष जोर देता है। कुरआन घोषणा करता है कि अल्लाह ने आदम की संपूर्ण संतान को सम्मान प्रदान किया है (17:70)। इसका अर्थ है कि हर इंसान का सम्मान करना इस्लामी नैतिकता का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत धर्म और पहचान की सीमाओं से ऊपर है। जब हर व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार किया जाता गया है, तो समाज में स्वाभाविक रूप से आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का वातावरण पैदा होता है। इस्लाम की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा पड़ोसियों के अधिकारों से संबंधित है। कुरआन मोमिनों को केवल अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि पड़ोसियों के साथ भी भलाई करने का आदेश देता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। आयत (4:36) में निकट और दूर दोनों तरह के पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार की ताकीद की गई है। विद्वानों ने इस निर्देश की व्यापक व्याख्या करते हुए बताया है कि पड़ोसियों के साथ सहयोग, सहायता और सद्व्यवहार इस आदेश का हिस्सा है। इन माजह की एक रिवायत में भी पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार के महत्व को बयान किया गया है। भारत जैसे विविध समाज में यह शिक्षा सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक ठोस नैतिक आधार प्रदान करती है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मुहम्मद का जीवन भी इस बात का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व इस्लामी आचरण का एक अनिवार्य हिस्सा है।

मदीना में आपने एक सामाजिक समझौता स्थापित किया जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और अन्य समूहों को एक साझा नागरिक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। इस व्यवस्था में हर समूह को अपने धर्म पर अमल करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी और आपसी सुरक्षा तथा सहयोग को बढ़ावा दिया गया। यह मॉडल दर्शाता है कि सामंजस्य और सह-अस्तित्व इस्लामी परंपरा में गहराई से निहित है। शांति स्वयं इस्लाम की पहचान का एक बुनियादी पहलू है। 'इस्लाम' शब्द की जड़ 'सलाम' से है जिसका अर्थ शांति है। कुरआन मोमिनों को शांति की ओर झुकने की प्रेरणा देता है (8:61) और बार-बार सुलह, क्षमा और सद्भावना को ऐसे गुण बताता है जो समाज को मजबूत बनाते हैं। ये शिक्षाएं मनुष्यों के भीतर ऐसी सोच विकसित करती है जो विभाजन के बजाय समझ और संवाद को प्राथमिकता देती है। भारतीय संदर्भ में ये सिद्धांत विशेष रूप से सार्थक प्रतीत होते हैं। सदियों से भारत विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग से समृद्ध रहा है। साहित्य, संगीत, वास्तुकला और सामाजिक चिंतन में विभिन्न परंपराओं का योगदान इस साझा विरासत का हिस्सा रहा है। मुसलमान भी इस विरासत के सक्रिय सहभागी रहे हैं। इस्लाम की सामंजस्य आधारित शिक्षाएं इस वातावरण के अनुरूप हैं और सभी नागरिकों के साथ सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करती हैं। इस्लामी नैतिकता समाज के कल्याणकारी कार्यों में सहयोग का भी आह्वान करती है। कुरआन लोगों को नेकी और भलाई के कामों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने का आदेश देता है (5:2)। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि विभिन्न समुदाय शिक्षा, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में मिलकर भाग लें। जब विभिन्न धर्मों के मानने वाले मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो विश्वास और सामंजस्य दोनों मजबूत होते हैं। सम्मानजनक और शिष्ट संवाद भी कुरआन की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुरआन मोमिनों को सलाह देता है कि वे ऐसी भाषा में बात करें जो बुद्धिमत्ता और विनम्रता पर आधारित हो (16:125)। सम्मान और समझदारी के साथ किया गया संवाद विभिन्न समुदायों के बीच पुल का काम करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सद्व्यवहार भी सामंजस्य के मजबूत प्रतीक बनते हैं। पड़ोसियों को प्रेम से सलाम करना, जरूरतमंदों की मदद करना, एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होना और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होना- ये सभी इस्लामी नैतिकता की व्यावहारिक झलक है। ऐसे कार्य समाज में आपसी सद्भाव और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार, साम्प्रदायिक सामंजस्य केवल एक सामाजिक इच्छा नहीं बल्कि इस्लाम में एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। कुरआन के अनुसार मानवता का मूल एक है और उसे आपसी सम्मान और शांति के साथ जीवन जीने का निर्देश दिया गया है। जब ये मूल्य मानवीय व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, तो समाज विश्वास और सद्भावना के साथ प्रगति करता है। भारत जैसे विविध देश के लिए ये शिक्षाएं एक आशाजनक और सकारात्मक संदेश प्रस्तुत करती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि आस्था दीवार नहीं बल्कि एक पुल बन सकती है। कुरआन के दया, पड़ोसी धर्म और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को अपनाते हुए विभिन्न समुदाय आपसी मित्रता और सहयोग को और मजबूत बना सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉकेटफेज एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो० : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2014/...)

कुशीनगर को विकास की दोहरी सौगातः फोरलेन परियोजना को मिली गति, शिवपुर बुजुर्ग में खुलेगी सेंट्रल बैंक की शाखा

कुशीनगर। जनपद को आधारभूत संरचना और बैंकिंग सुविधाओं के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही हैं। कुशीनगर विधायक पी.एन. पाठक की पहल पर एक ओर जिला मुख्यालय-पनियहवा फोरलेन परियोजना को गति मिली है, वहीं दूसरी ओर शिवपुर बुजुर्ग में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट के दौरान विधायक पी.एन. पाठक ने कुशीनगर जिला मुख्यालय-पनियहवा फोरलेन परियोजना को स्वीकृति दिए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र की अन्य सड़क परियोजनाओं और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। विधायक ने जनहित से जुड़े प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन की अपेक्षा जताते हुए कहा कि फोरलेन परियोजना के पूर्ण होने से यातायात व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी,

आवागमन सुगम बनेगा तथा जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। इसी क्रम में शिवपुर बुजुर्ग क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। विधायक पी.एन. पाठक के प्रयासों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बैंक की ओर से शाखा संचालन के लिए लगभग 800 से 1000 वर्गफुट भवन की आवश्यकता बताते हुए इच्छुक भवन स्वामियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। नई शाखा शुरू होने के बाद क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को जमा-निकासी, कृषि ऋण, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ तथा डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा और समय व धन दोनों की बचत होगी। क्षेत्रवासियों ने इन दोनों पहलों का स्वागत करते हुए विधायक पी.एन. पाठक के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सड़क संपर्क और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी तथा आमजन को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

नगर पालिका पडरौना को मिले नए वाहन व आधुनिक मशीनें, अध्यक्ष विनय जायसवाल ने किया लोकार्पण

पडरौना, कुशीनगर। नगर पालिका परिषद पडरौना की जनसेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में शुक्रवार को नए वाहनों एवं आधुनिक मशीनों को नगर सेवा के लिए समर्पित किया गया। जलकल भवन परिसर में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इन संसाधनों का विधिवत पूजन-अर्चन किया। नगर पालिका को दो स्काई लेडर वाहन, दो कूड़ा लोडिंग डम्पर तथा दो सीवर सेफ्टी मशीनें मिली हैं। अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि इन आधुनिक संसाधनों के संचालन से नगर की स्वच्छता व्यवस्था, सीवर सफाई कार्य और आपातकालीन सेवाएं अधिक प्रभावी एवं सुगम होंगी। साथ ही सफाई कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पडरौना नगर निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और नगरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर सभासद अनिल जायसवाल, मोनू सिंह, श्याम साह, रामआश्रय गौतम, छोटेलाल कुशवाहा, गोलू, महेंद्र चौधरी, मनोज सिंह, बृजेश शर्मा, सन्नी मिश्रा, राजेश जायसवाल, संतोष चौहान, मंथन सिंह, मृत्युंजय दीक्षित, अनिल पाण्डेय, भोला साह, अजय शर्मा सहित नगर पालिका परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिक्षा और पोषण पर प्रशासन का जोरः डीएम की ग्राम प्रशासकों से अपील, घर-घर चलेगा नामांकन अभियान

6 से 14 वर्ष के बच्चों का दाखिला और 0 से 6 वर्ष के नौनिहालों की उपस्थिति बढ़ाने का आह्वान

देवरिया। जनपद में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने और कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने पंचायती राज व्यवस्था को सीधे अभियानों से जोड़ने की रणनीति अपनाई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जिले के सभी ग्राम प्रशासकों से सीधी अपील करते हुए 'स्कूल चलो अभियान' के द्वितीय चरण को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर के जन प्रतिनिधियों और प्रशासकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस विशेष अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बालक-बालिका का शत-प्रतिशत नामांकन और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है। शासन द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग, स्वेटर, पौष्टिक मध्याह्न भोजन और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिनका वास्तविक लाभ तभी संभव है जब बच्चा रोजाना स्कूल पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और प्राथमिक बाल देखरेख के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने ग्राम प्रशासकों से घर-घर संपर्क अभियान चलाने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रशासक अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का समय-समय पर अनुश्रवण करें तथा 'ऑपरेशन कायाकल्प' के सभी 19 मूलभूत मानकों को पूर्ण कराकर अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासनिक तंत्र, ग्राम प्रशासकों और जनसहभागिता के संयुक्त प्रयासों से देवरिया शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों पर प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल करेगा।

कच्ची झोपड़ी से पक्के मकान तक का सफरः पीएम आवास योजना से बदली तरकुलवा के मेनका देवी की जिंदगी

देवरिया। ग्रामीण अंचलों में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा असर अब धरातल पर साफ दिखने लगा है। विकासखंड तरकुलवा की ग्राम पंचायत कोन्हवलिया भरथराय निवासी मेनका देवी के परिवार के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' जीवन में एक नया मोड़ साबित हुई है। बरसों तक जर्जर झोपड़ी के साए में अनिश्चितता का जीवन जीने को मजबूर यह परिवार अब अपने स्वयं के पक्के मकान में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है। अपनी आपबीती साझा करते हुए मेनका देवी ने बताया कि वह अपने पति, दो बेटों, एक बेटी और बुजुर्ग ससुर के साथ कच्चे छप्पर वाले मकान में रहने को मजबूर थीं। मानसूनी बारिश के दिनों में छत से टपकते पानी के कारण रातें जागकर काटनी पड़ती थीं। कलेक्ट्रेट व विकास खंड प्रशासन की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उनके नाम से आवास स्वीकृत हुआ। योजना के तहत तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। निर्माण कार्य में उन्होंने स्वयं श्रमदान भी किया, जिसके एवज में मनरेगा के तहत 19,170 रुपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। आवास का निर्माण पूरा होने के साथ ही इस परिवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई गैस कनेक्शन जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं भी एक साथ मुहैया कराई गईं। मेनका देवी का कहना है कि पक्का मकान बनने से न केवल सिर छुपाने की पक्की छत मिली है, बल्कि गांव में परिवार का सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है। कलेक्ट्रेट के प्रभावी अनुश्रवण से ग्रामीण अंचलों में वास्तविक पात्रों तक पहुंच रही इन योजनाओं से कई गरीब परिवारों के जीवनस्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

1.20 लाख की आवास सहायता और मनरेगा मजदूरी के 19 हजार रुपये से तैयार हुआ पक्का आशियाना

शौचालय, बिजली और रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं से संवरा परिवार का सामाजिक सम्मान

शाहपुर वार्ड 43 की भाजपा पार्षद का निर्वाचन निरस्त, एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला

शपथ पत्र में तथ्य छिपाने के आरोप सही पाए गए, जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई आदेश की प्रति

गोरखपुर। नगर निगम गोरखपुर के वार्ड संख्या 43, शाहपुर की पार्षद ज्ञानती देवी पत्नी स्व. परशुराम का नामांकन और निर्वाचन एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) ने निरस्त कर दिया है। गुरुवार, 23 जुलाई को एडीजे सुदेश कुमार की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चुनाव याचिका संख्या 05/2023 को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (b) तथा (d)(i) के तहत निर्वाचन को अवैध और शून्य घोषित किया है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) को प्रेषित कर दी गई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही अर्चना शुक्ला ने ज्ञानती देवी के नामांकन और निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नामांकन के दौरान शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद याचिका को सही मानते हुए यह निर्णय दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि उन्हें अभी आदेश की प्रति का विस्तृत अवलोकन करना है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद नगर निगम क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल, वर्ष 2023 के नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 43 महिला के लिए आरक्षित था। पूर्व उपसभापति चन्द्रशेखर सिंह ने अपनी माता ज्ञानती देवी को भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। उन्हें भाजपा का अधिकृत टिकट मिलने का दावा किया गया था और उन्होंने चुनाव में 1723 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि, विपक्षी प्रत्याशी अर्चना शुक्ला ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जिला जज के समक्ष चुनाव याचिका दायर की। बाद में यह वाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसकी सुनवाई हुई। याचिका में प्रमुख आरोप यह था कि ज्ञानती देवी को भाजपा का आधिकारिक सिंबल नहीं मिला था। सिंबल किसी अन्य 'ज्ञानती देवी पत्नी श्यामलाल' के नाम से जारी हुआ था, जबकि नामांकन 'ज्ञानती देवी पत्नी परशुराम' के नाम से दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान तत्कालीन भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानती देवी ही पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थीं और उनके अलावा कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था। हालांकि, पति के नाम में अंतर को लेकर स्पष्ट और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। बाद में राजेश गुप्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उन्हें चुनाव के लगभग एक महीने बाद यह जानकारी मिली कि ज्ञानती देवी के पति का नाम परशुराम उर्फ श्यामलाल है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि ज्ञानती देवी ने अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी छुपाईं। आरोप के अनुसार, उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित था, जिसकी जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त, उनके नाम से 3 हजार वर्ग फीट से अधिक की जमीन की खरीद की जानकारी भी छुपाई गई। याचिका में यह भी कहा गया कि देवरिया जिले के बरहज स्थित गांव में वर्ष 2021 में उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था और वहां की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था, जिसे भी नामांकन के समय उजागर नहीं किया गया। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि शपथ पत्र में तथ्यों का समुचित खुलासा नहीं किया गया, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आदेश दिया। वहीं, ज्ञानती देवी के पुत्र राघवेंद्र सिंह ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मात्र शब्दों की त्रुटि का मामला है और विपक्ष ने जानबूझकर इसे बढ़-चढ़ाकर पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ लड़ा गया और किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी माता ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी, जो जनता के समर्थन को दर्शाता है। दूसरी ओर, याची अर्चना शुक्ला ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने नामांकन के समय ही अनियमितताओं की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को भी सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद न्याय पाने के लिए उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। इस फैसले के बाद अब वार्ड संख्या 43 में आगे की चुनावी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सीजेपी ने फिर दोहराया- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन

नई दिल्ली । मीटिंग के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, 'हमें सरकार को बहुत साफ़ शब्दों में यह बताया है. धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट में उनकी बर्खास्तगी के कुछ भी मंजूर नहीं होगा. पूरे देश भर में इस समय जहां अलग-अलग आंदोलन चल रहे है. टैट धर्मेन्द प्रधान हैव टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैकड. सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है. सरकार ने इस इस मुद्दे पर इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है. हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं. और अगर हमें जंग ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली, तो ये प्रोटेस्ट और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा. हम उम्मीद करते है कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे.'

राहुल बोले- धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें

उनकी वजह से हजारों लोग सड़क पर; पैलेट गन से घायल छात्र की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाए

नई दिल्ली।

देश भर में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब प्रचंड रूप ले चुका है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने प्रदर्शन में घायल हुए छात्रों को प्रस्तुत किया और आरोप लगाया कि हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर सुरक्षा बलों ने लाठियां बरसाईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया।

छात्रों की आंखें खतरे में, क्या यही निष्पक्षता है?

राहुल गांधीप्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल छात्रों की शारीरिक स्थिति का ब्योरा देते हुए राहुल गांधी ने बेहद आक्रोश व्यक्त किया: 'ये छात्र हाथ में तिरंगा लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब इन्हें पैलेट गन लगी। इनकी एक आंख खुल नहीं रही है, उस आंख से दिखना बंद हो गया है। इन छात्रों को इतना गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा है कि मैं यह भी नहीं कह सकता कि इनमें से कुछ की आंखें बचेंगी या नहीं। इनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए हमारी मांग है कि छात्रों को मारना और धमकाना तुरंत बंद किया जाए।

राहुल गांधी और प्रदर्शनकारियों की 3 प्रमुख मांगें

राहुल गांधी ने विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से सरकार के समक्ष तीन मुख्य शर्तें रखी हैं:मुख्य जिम्मेदार पर कार्रवाई: जिस वजह से पेपर लीक हुआ और परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई, उस जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत पद से हटाया जाए। बल प्रयोग करने वालों पर सख्त: जिन पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया और पैलेट गन चलाई, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पूरे सिस्टम के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर उतरे इन हजारों पीड़ित युवाओं से तुरंत माफी मांगें। 'धर्मेंद्र प्रधान इस आपराधिक शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक 'केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को सबसे प्रमुख मुद्दा बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान देश की इस बर्बाद और आपराधिक शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को पदमुक्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। देश भर में हो रहे पेपर लीक, युवाओं के बर्बाद होते भविष्य और सड़कों पर हुए लाठीचार्ज की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री पर ही है।

छात्रों पर पुलिस ज्यादती के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, 27 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर और देश भर में दूसरी जगहों पर हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ पुलिस पर अत्यधिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ के समक्ष पेश किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन ने इस मामले का जिक्र किया। मामले की सुनवाई के लिए पीठ से अनुरोध करते हुए शंकरनारायणन ने कहा कि दोनों याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उन्हें क्रमांकित किया जा चुका है। पेपर लीक के विरोध में कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 20 जुलाई को दिल्ली में हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुईं, जिन्होंने संसद की ओर बढ़ने की। कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 22 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद तक 20 जुलाई को हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड, जिनमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज और किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी शामिल है, को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

10 साल की जेल, 10,00,00,000 रुपए का जुर्माना, पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक अंदाज में ये कौन सा बिल मोदी कैबिनेट ने किया मंजूर

नई दिल्ली । शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने वाले एक ड्राफ्ट बिल (प्रारूप विधेयक) को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मौजूद कानूनों की तुलना में पेपर लीक में शामिल लोगों को अधिक सख्त सजा देने वाले ड्राफ्ट बिल को हरी झंडी दी गई। गुरुवार आधी रात के आसपास जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला एक विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।

4,294 करोड़ रुपये की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के विकास को हरी झंडी दे दी है। इस महात्वाकांक्षी पहल के लिए कुल 4,294 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से दोनों राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वैष्णव ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। पहली परियोजना बल्लारी-गुंटकल के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की है, जिसके लिए 1,264 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह रेलवे लाइन माल ढुलाई की क्षमता में बड़ा इजाफा करेगी। वहीं दूसरी प्रमुख परियोजना भव्य रसायन योजना है, जिसके लिए 3,030 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पहल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने में मदद करेगी।

परियोजना से जुड़ी पांच बड़ी बातें

कुल बजट आवंटन: आंध्र-कर्नाटक कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार ने 4,294 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी।

रेलवे लाइन विस्तार: बल्लारी-गुंटकल मार्ग पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,264 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

भव्य रसायन योजना: औद्योगिक रफ्तार बढ़ाने वाली इस योजना के लिए 3,030 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

भारी रोजगार सृजन: निर्माण और परिचालन के दौरान करीब 31 लाख मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा।

अतिरिक्त माल ढुलाई: इस गलियारे की मदद से प्रति वर्ष 1.6 करोड़ टन अधिक माल की आवाजाही हो सकेगी।

नीट पेपर लीक विवाद : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के 47 अफसर बर्खास्त

नई दिल्ली ।

नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एनटीए ने बड़ा एक्शन लिया है. नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 47 कर्मचारियों को हटा दिया है. इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिससे एनटीए की व्यवस्था में सुधार हो सके. एनटीए में बड़े लेवल पर सुधार करने की तैयारी है. यह इसका एक हिस्सा है. सरकार अब एनटीए में व्यापक स्तर पर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. अगले महीने एजेंसी का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके आउटसोर्सिंग के तौर-तरीकों में भी बदलाव होगा. यह पूरी कार्रवाई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है, ताकि आगे एक लीक-प्रूफ परीक्षा प्रणाली तैयार की जा सके. आपको बता दें कि एनटीए देश भर में जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी करीब 15 से 20 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती है.

एनटीए में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी करते हैं काम

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, एनटीए में स्वीकृत 39 स्थायी पदों में से केवल 24 पर ही अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 15 पद खाली पड़े हैं. एजेंसी के कामकाज को सुचारू रखने के लिए फिलहाल 73 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) और 124 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात किए गए हैं. संविदा कर्मियों में कंसलटेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और यंग प्रोफेशनल्स शामिल हैं. शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में बताया कि एनटीए को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के 16 नए पद सृजित किए हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा.

शिक्षा मंत्रालय में भी प्रशासनिक फेरबदल

परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और विवादों के चलते शिक्षा मंत्रालय में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. हालांकि विपक्षी दल लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात बड़े प्रशासनिक कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को इस पद से हटा दिया और उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त कर दिया है. विनीत जोशी अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर रह चुके हैं. वह सीबीएसई के अध्यक्ष, एनटीए के पहले महानिदेशक और यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उनके कार्यकाल में ही सीयूईटी परीक्षा की शुरुआत हुई थी, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. उनके स्थान पर अब नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव और टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. सरकार के इन सख्त फैसलों से साफ है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका है.

युवाओं को बरगलाकर राजनीति कर रहा विपक्ष- नायब सैनी

गुड़गांव ।

लंबे समय तक कांग्रेस, इंडी गठबंधन युवाओं को बरगलाकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा को लेकर साफ कर दिया है कि पेपर लीक करने वाले सजा जरूर मिलेगी। इसको लेकर चर्चा चल रही है। यह हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। लंबे समय तक कांग्रेस, इंडी गठबंधन युवाओं को बरगलाकर राजनीति करने का काम कर रहे है यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कही। वे आज गुड़गांव के भाजपा कार्यालय गुरुकमल में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार कड़ा कानून बनाने और युवाओं के इस विषय पर गंभीर है, परंतु विपक्ष युवाओं को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष कांग्रेस व इंडी गठबंधन को भी काफी समय मिला है और उनके लंबे कार्यकाल में एक बार नहीं बल्कि कई बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होने के बाद भी कई बार यह कैंसिल ही नहीं करते थे और अगर कैंसिल कर भी दिया तो दो-दो महीने दोबारा पेपर कराने में लग जाते थे। जितनी गति से अगर कोई घटनाक्रम हुआ है तो चार दिन पहले नीट का रिजल्ट भी आ गया है। छात्र एडमिशन भी ले लेंगे, लेकिन जिन्होंने गलत किया है उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। कांग्रेस ने इस विषय पर आज तक सोचा भी नहीं। कांग्रेस ने आज तक चर्चा तक नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सोशल मीडिया प्रियंका वाड्रा की वीडियो घूम रही है जिसे वह देख रहे थे, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इस वीडियो में प्रियंका बोल रही है कि वह कोशिश करते हैं कि पेपर लीक को रोका जाए, लेकिन यह रुकता नहीं। जब आपको पता था कि पेपर लीक हो रहा है तो कोई कानून तो बनाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हरियाणा में इस पर सख्त एक्शन लिया है। इस विषय पर विधानसभा में भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि किसी को अधिकार नहीं है कि कोई छात्रों के, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करे और इसको लेकर प्रधानमंत्री लोकसभा में चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष अपने सुझाव दे ताकि कड़े कानून बनाए जा सकें और भविष्य में पेपर लीक जैसी समस्या का सामना न करना पड़े।

व्यवस्था में होगा सुधार, पद छोड़ना नहीं है समाधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की फिलहाल कोई संभावना नहीं: शीर्ष सरकारी सूत्र

नई दिल्ली ।

नीट-यूजी पेपर लीक बवाल के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकारी सूत्रों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस्तीफा देना? नो चांस! सूत्रों के मुताबिक, इस्तीफा देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना और मैदान छोड़कर भागना तो सबसे आसान काम है।

जनता ने हमें जनादेश दिया है काम करने के लिए, और हम काम करके दिखाएंगे-भागेंगे नहीं। सूत्रों के अनुसार, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। यह घटनाक्रम 'कॉकरोच जनता पार्टी' के लिए एक बड़ा झटका है, जो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और नीट पेपर लीक विवाद व परीक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार दिखावटी कदम उठाने के बजाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की व्यवस्थागत कमियों को दूर करने पर ध्यान दे रही है।

परीक्षा आयोजित करने वाली इस संस्था की कमियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही सुधार के उपाय लागू किए जाएंगे। सूत्रों ने पेपर लीक नेटवर्क के खिलाफ सरकार की जारी कार्रवाई का भी जिक्र किया और बताया कि परीक्षा के पेपर लीक करने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

सीजेपी बोली- प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी: सुसाइड करने वाले नीट छात्रों के परिवार को मुआवजा देने और केस वापस लेने को तैयार

सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा- पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है

सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है

जब नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सीजेपी ने फिर से दोहराया कि प्रधान का इस्तीफा एक ऐसी मांग है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

शुक्रवार को विट्ठलभाई पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई दो घंटे की बैठक में, सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा कि वे प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। संगठन ने सोमवार को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बर्बरता के लिए केंद्र सरकार, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सार्वजनिक माफी की भी मांग की। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि संगठन ने 3 मई की नीट परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और परीक्षा सुधारों पर अपने पांच-सूत्रीय चार्टर को स्वीकार करने की भी मांग की। सरकार को सौंपे गए एक पत्र में, सीजेपी ने कहा कि उसने देश भर में अपने समर्थकों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद यह तय किया है कि उसकी मांगें - जिनमें प्रधान का इस्तीफा, नीट पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजा और प्रदर्शनकारियों को कानूनी कार्रवाई से छूट शामिल है - ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में फैल जाएगा।

हिमाचल: लाहौल में टैक्सी के ऊपर गिरी चट्टान, 13 लोगों की मौत

उदयपुर (लाहौल-स्पीति)।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर-किलाड़ सड़क मार्ग पर कड़ू नाला के पास अचानक पहाड़ी दरकने से कुल्लू से पांगी जा रही एक टैक्सी टाटा सूमो (एचपी-01एम-2210) मलबे में दब गई। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति शिवानी मेहला ने इसकी पुष्टि की है। हादसे की सूचना मिलते ही तिंदी पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए। राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उदयपुर-किलाड़ सड़क मार्ग एक दिन पहले भूस्खलन के कारण बंद था। इसी वजह से टैक्सी में सवार सभी यात्री तिंदी में रुके हुए थे। शुक्रवार को सड़क बहाल होने के बाद वाहन पांगी की ओर रवाना हुआ, लेकिन कड़ू नाला के पास अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और टैक्सी उसकी चपेट में आ गई। अब तक बचाव दल ने मलबे से एक व्यक्ति को घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। अन्य यात्रियों की तलाश जारी है और मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने फिलहाल घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही यात्रियों की संख्या और हालातों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक राज ने पांगी-उदयपुर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूस्खलन की चपेट में आए वाहन में सवार 15 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें छह माह का एक मासूम शिशु भी शामिल है। वहीं, दो लोगों के सुरक्षित होने की सूचना राहत देने वाली है।

20 जुलाई को संसद मार्च पर लाठीचार्ज को सोनिया गांधी ने बताया शर्मनाक दिन, उठाई बातचीत की मांग

नई दिल्ली । नीट पेपर विवाद को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का जवाब 'कायरता और बेरहमी' से दिया है और देश के युवाओं के साथ 'भविष्य के उत्तराधिकारियों' के बजाय 'देश के दुश्मनों' जैसा व्यवहार किया है। 'द हिंदू' में लिखे एक संपादकीय लेख में, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने केंद्र से पुलिस की कार्रवाई रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि 'ये हमारे बेटे-बेटियां हैं, हमारे युवा हैं।' इस लेख में 20 जुलाई को संसद तक हुए मार्च को 'शर्मनाक दिन' बताया गया है, जब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिनमें घर लौट रहे लोग भी शामिल थे। इसमें सरकार से कार्रवाई रोकने और इसके बजाय बातचीत करने की अपील की गई है। 'पिछले कुछ हफ्तों से, पूरे भारत में युवा छात्र परीक्षा के पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में आम गिरावट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें सीधी और स्पष्ट रही हैं: भारत सरकार से जवाबदेही और शिक्षा में सुधार। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब कायरता और बेरहमी से दिया है, और उनके साथ भविष्य के उत्तराधिकारियों के बजाय देश के दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है।

20 जुलाई, 2026 को, जो एक शर्मनाक दिन था, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने बेरहम लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करके और बिना किसी वजह के हिंसा करके उन्हें दबाने की कोशिश की। कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।' सोनिया गांधी ने लिखा, 'घर लौट रहे छात्रों को भी नहीं बख्शा गया; उनकी पीठ और सिर पर लाठियां बरसाई गईं।' उन्होंने कहा कि देश ने इस विरोध-प्रदर्शन में 'युवाओं की सबसे निराशाजनक तस्वीरें' देखी हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके शरीर 'पैलेट (छर्रों) के घावों से भरे थे, जिनका इस्तेमाल निश्चित रूप से खुद केंद्रीय गृह मंत्री की मंजूरी से ही हुआ होगा।' केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों से बात करने के बजाय, उन पर 'सरकार की दमनकारी ताकत' का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, 'इसे न तो माफ किया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है।' सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा, 'मोदी सरकार बातचीत के बजाय अक्सर हिंसा का रास्ता चुनती है।

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करे।